

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 163

दिनांक :- 24.02.22

॥ कार्यालय आदेश ॥

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक स्थापना (आर.जे.एस.)/16/2022 दिनांक 24.02.2022 के द्वारा श्री उमेश वीर, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई एवं श्रीमति सुनिता जिन्दोलिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा का स्थानांतरण अन्य न्यायक्षेत्र में होने से इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 99 दिनांक 25.02.2022 में संशोधन किया जाकर न्यायिक अधिकारी श्री उमेश वीर के स्थान पर पदस्थापित न्यायिक अधिकारी डॉ. अंजुम खान, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई मोबाईल नम्बर 9413211224 को दिनांक 26.03.2022 को रिमाण्ड इयूटी एवं दिनांक 02.04.2022 को प्रोटोकॉल इयूटी सम्पादित किये जाने के लिए अधिकृत किया जाता है तथा श्रीमति सुनिता जिन्दोलिया जो कि पूर्व में न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा के पद पर पदस्थापित थी, के स्थान पर किसी भी न्यायिक अधिकारी का पदस्थापन नहीं होने से उनके स्थान पर दिनांक 14.04.2022 को श्री फैसल खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक मोबाईल नम्बर 7822911111 को टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक प्रकृति के समस्त न्यायिक कार्य सम्पादित किये जाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

नोट :- उक्त राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त अन्य दिवस को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश घोषित दिवस से पूर्व दिवस को राजपत्रित अवकाश हेतु न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) एवं अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारी ही टोंक न्याय क्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) एवं अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे।

उक्त इयूटी चार्ट में यदि कोई न्यायिक अधिकारी परिवर्तन चाहता है तो इस बारे में अन्य न्यायिक अधिकारी से उक्त दिवस की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करें, तत्पश्चात् ही सम्बन्धित अधिकारी के इयूटी परिवर्तन के प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा सकेगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक

दिनांक :- 24.2.22

क्रमांक :- 164

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
2. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक/निवाई/उनियारा/मालपुरा/ढोडारायसिंह।
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक/निवाई/उनियारा/मालपुरा/दूनी/देवली।
4. अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक/निवाई/देवली/न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली।
5. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक।
6. अधीक्षक, जिला कारागृह, टोंक।
7. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक।
8. सहायक समादेष्ट निरोधक दल, टोंक।
9. पुलिस कंट्रोल रूम, टोंक।
10. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक